जनसत्ता

पर्यावरण की खातिर

दुनिया भर में पर्यावरण के संरक्षण को लेकर बढ़ती चिंता के बीच जंगल और पेड़ों को बचाने पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है। खासतौर पर विकास के नाम पर पेड़ों को व्यापक पैमाने पर काटने पर न केवल तीखे सवाल उठे हैं, बल्कि इस मसले पर आंदोलन भी खड़े हो रहे हैं। लेकिन पेड़ों को बचाने की चिंता के बीच शायद ही इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि इन्हें काटे जाने का एक बड़ा कारण कागजों का बेजा इस्तेमाल भी है। गौरतलब है कि कागज तैयार करने के काम में आने वाले पेड़ों की कटाई आज एक बड़ी समस्या हो चुकी है और तेजी से कटते पेड़ पर्यावरण के संकट को और बढ़ा रहे हैं। फिर ऐसी स्थिति में अगर कहीं कागज के बेजा इस्तेमाल को हतोत्साहित करने का प्रयास होता है तो यह स्वागतयोग्य है। रेलवे महकमे में यों तो कामकाज में तेजी लाने के मकसद से अट्ठावन बड़े दफ्तरों में कागज पर कामकाज पूरी तरह बंद कर दिया गया है, लेकिन इसका सीधा असर कागज की भारी पैमाने पर बचत के रूप में होगा। और कागज बचाने को जिस तरह पेड़ बचाने के रूप देखा जाता है, उससे साफ है कि इस तरह की कोई भी कोशिश पर्यावरण की फिक्र के रूप में देखी जाएगी।

ताजा कवायद के रूप में रेलवे के दफ्तरों के जरिए करीब पचास हजार रेल कर्मचारी ऑनलाइन सेवाओं से जोड़ दिए गए हैं। निश्चित रूप से नई व्यवस्था की मदद से केंद्रीय स्तर पर फाइलों की निगरानी की जा सकेगी और काम की रफ्तार में बढ़ोतरी होगी। मगर इसके साथ-साथ कागज का प्रयोग खत्म होने का फायदा कार्बन फुट-प्रिंट में कमी लाने में भी मिलेगा। इससे पहले भी देश भर में कागज को बचाने या इसका इस्तेमाल खत्म करने के लिए अलग-अलग स्तर पर पहलकदमी हुई है। मसलन, करीब डेढ़ महीने पहले झारखंड में नवनिर्मित विधानसभा को पहली कागजरहित विधानसभा का दर्जा मिला है। इसके अलावा खनन और नागर विमानन मंत्रालय इसी साल फरवरी में उन नौ सरकारी संगठनों में शामिल था, जिन्हें कागजरहित कार्य को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कृत किया गया था। खुद प्रधानमंत्री ने लगभग ढाई साल पहले ही कहा था कि किसी संस्थान के भीतर प्रौद्योगिकी को सामूहिक तौर पर अपनाया जा सकता है; इस तरह कागज रहित पहल से पर्यावरण की सुरक्षा होगी और इसलिए यह भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक अच्छी सेवा है।

जाहिर है, ज्यादातर काम आधुनिक तकनीकी पर निर्भर होते जाने के डिजिटल दौर में कागज के कम से कम प्रयोग के जरिए पर्यावरण को बहुस्तरीय फायदा पहुंचाया जा सकता है। इसलिए लगभग सभी पर्यावरणविद पेड़ लगाने या मौजूदा पेड़ बचाने के साथ-साथ कागज के बेलगाम प्रयोग को बंद करने या कम करने की सलाह देते रहे हैं। विडंबना यह है कि जहां हम कागज का कम इस्तेमाल कर सकते हैं या बिना कागज के भी काम चला सकते हैं, वहां भी कागजों पर हमारी बेमानी निर्भरता दिखती है। कई बार तो सादे कागज के एक तरफ लिखने को नियम की तरह देखा जाता है। जबकि इस तरह दोगुने कागज की खपत होती है। यह ध्यान रखने की जरूरत है कि दुनिया भर में करीब चालीस फीसद वृक्ष केवल कागज बनाने के लिए काट डाले जाते हैं। जबकि पर्यावरण के नुकसानों से लेकर प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए पेड़ों को सबसे अहम अंग माना गया है और कम कागज का प्रयोग करके हम पेड़ बचाने में अपने स्तर से भी सहयोग कर सकते हैं। पेड़ों का बचना पर्यावरण का बचना है और यह समूचे मानव जीवन के लिए कितना अहम है, इसे अलग से बताने की जरूरत नहीं है।

ट्रंप की मुश्किल

अमेरिकी राष्ट्रपति एक बार फिर मुश्किलों में फंसते नजर आ रहे हैं। अमेरिकी कांग्रेस के निचले सदन प्रतिनिधि सभा में बहुमत वाली डेमोक्रेटिक पार्टी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर महाभियोग का प्रस्ताव पेश कर दिया है। ट्रंप पर आरोप है कि उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी बाइडेन और उनके बेटे के खिलाफ जांच के लिए यूक्रेन सरकार पर दबाव बनाया था। इन दोनों लोगों पर यूक्रेन की एक गैस कंपनी में भ्रष्टाचार का आरोप था। जाहिर है, ट्रंप ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए यूक्रेन सरकार पर यह दबाव इसलिए बनाया कि वे अपने प्रतिद्वंद्वी पर कानूनी शिकंजा कस सकें। अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं और ट्रंप किसी भी तरह दुबारा राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, इसलिए भी उन्होंने यह हथकंडा अपनाया। मगर उनका यह व्यवहार अमेरिकी संविधान के विरुद्ध है, इसलिए उन पर महाभियोग चलाया जा सकता है। डेमोक्रेटिक पार्टी के महाभियोग संबंधी प्रस्ताव पर विचार करने के बाद वहां की खुफिया एजंसी के मुखिया, न्यायिक समिति के अध्यक्ष, विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष और प्रबंधन एवं सुधार समिति के अध्यक्ष ने एक संयुक्त बयान जारी किया है। उस बयान में कहा गया है कि हमने पहले ही ऐसे सबूत एकत्र कर लिए हैं, जो साबित करते हैं कि राष्ट्रपति ने अपनी ताकत का दुरुपयोग सरकार के विभिन्न स्तरों पर दूसरे देशों पर दबाव बनाने और अगले साल होने वाले चुनाव में हस्तक्षेप करने के इरादे से किया।

यह पहला मौका नहीं है, जब राष्ट्रपति ट्रंप ने इस तरह अपने पद का दुरुपयोग किया और उनके खिलाफ उनकी प्रतिद्वंद्वी पार्टी हमलावर हुई। ट्रंप पर एक गंभीर आरोप यह भी है कि वे राष्ट्रपति बनने के बाद भी अपनी कंपनियों के मुखिया के पद पर बने रहे। अमेरिकी संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति बनने के बाद अपने निजी उपक्रमों के संचालन से जुड़ा नहीं रह सकता। मगर ट्रंप ने उसकी अवहेलना की। इस तरह माना जा सकता है कि वे राष्ट्रपति पद पर रहते हुए अपनी कंपनियों को लाभ पहुंचाते रहे। अमेरिका में संविधान के किसी भी तरह के उल्लंघन को बहुत गंभीरता से लिया जाता है। इसलिए उस मामले पर भी ट्रंप के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया गया था। ट्रंप प्रशासन ने उन आरोपों को सिरे से खारिज किया था, जैसा कि ताजा मामले में कर रहा है। अपनी कंपनियों के मुखिया पद पर बने रहने के मामले में विपक्षी पार्टी ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था और अदालत ने उस प्रस्ताव को गंभीर प्रकृति का माना था। उस मामले में भी ट्रंप के खिलाफ महाभियोग चलाने का प्रस्ताव है।

दरअसल, ट्रंप ने अपने कार्यकाल में अनेक ऐसे काम किए हैं, जो अमेरिकी परंपराओं के विरुद्ध माने जाते हैं। उनके फैसलों से कई ऐसे देशों के साथ अमेरिका के संबंध भी खराब हुए हैं, जो पहले उसके मित्र राष्ट्र थे या जिनके विरुद्ध अमेरिका कठोर फैसले करने से बचता रहा था। ट्रंप के निजी जीवन से जुड़े कई आरोप भी हैं। राष्ट्रपति चुनाव के समय वोटों में गड़बड़ी करने के भी उन पर आरोप रहे हैं। मगर ट्रंप उन तमाम आरोपों की परवाह किए बगैर अपनी मर्जी से कई फैसले करते रहे हैं। इसका नतीजा यह भी हुआ है कि कुछ मौकों पर अदालत ने हस्तक्षेप करके उनके फैसले को पलटा। ट्रंप अगले चुनाव में अपना पलड़ा भारी रखने के लिए बेशक प्रयास कर रहे हैं, पर महाभियोग संबंधी प्रस्ताव का उनके राजनीतिक जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा ही।

कल्पमेधा

करुणा की गहराइयों में पहुंच कर मैंने
पाया कि जीवन का आनंद यहीं है।
-खलील जिब्रान

महिला सशक्तिकरण और समाज

चंद्रशेखर तिवारी

आजादी के सात दशक बीत जाने के बाद जिस तरह हमारे देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, औद्योगीकरण, रोजगार, नगरीकरण के क्षेत्र में वृद्धि होने के साथ ही समाज में सामाजिक-राजनीतिक चेतना विकसित हो रही है, उसके सापेक्ष महिलाओं की स्थिति उतनी संतोषप्रद नहीं दिखाई देती। हालांकि कुछ दशकों से हमारे देश में महिलाओं की शैक्षिक स्थिति में सुधार आया है, लेकिन फिर भी साक्षरता का फीसद पुरुषों की तुलना में कम ही है।

भारतीय संस्कृति में नारी को सम्मानजनक स्थान देने की परंपरा प्राचीन काल से चली आई है। हमारे वैदिक शास्त्रों में कहा गया है- 'यत्र नार्यस्तु पूजयंते, रमयंते तत्र देवता'। हिंदू सनातन धर्म में मां दुर्गा को जगत का पालन करने, उसका कल्याण करने और दुष्टों का संहार करने की अधिष्ठात्री देवी माना गया है। गार्गी, सावित्री, सीता, कौशल्या और कुंती जैसी अनेक विदुषी नारियों के व्यक्तित्व, त्याग और साहस की गाथाएं आज भी हमारे समाज में प्रचलित हैं। भारतीय समाज के विभिन्न कालखंडों पर यदि नजर डालें तो पाते हैं कि वैदिक काल में महिलाओं को कुटुंब समाज में पर्याप्त सम्मान प्राप्त था। तत्कालीन समाज में यह धारणा विद्यमान थी कि नारी के बगैर पुरुष को धर्म, कर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। उत्तर वैदिक काल आने तक महिलाओं की इस उन्नत स्थिति में आंशिक गिरावट आने लगी। सामाजिक स्तर पर उन पर कुछ पाबंदियां लगाई जाने लगीं। इसी दौर में बाल विवाह की परंपरा भी शुरू हो गई थी। हालांकि उस समय महिलाओं की स्थिति ज्यादा शोचनीय नहीं थी। वैदिक युग के बाद ग्यारहवीं सदी के पूवार्द्ध तक नारियों की स्थिति धीरे-धीरे कमजोर होने लगी।

मध्यकालीन युग में नारियों की दशा दयनीय स्थिति में पहुंच चुकी थी। समाज में पर्दा प्रथा शुरू हो गई थी। महिलाओं की आर्थिक पराधीनता, कुलीन विवाह प्रथा और अशिक्षा आदि के कारण समाज में उनकी स्थिति शोचनीय स्तर पर पहुंचने लगी। वर्तमान की अगर बात करें तो महिलाओं की स्थिति को स्वतंत्रता से पूर्व और स्वतंत्रता के बाद अलग-अलग काल खंडों में देखा जा सकता है। स्वतंत्रता से पूर्व महिलाएं कई तरह की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूढ़ियों में जी रही थीं। इसके पीछे अशिक्षा, आर्थिक पराधीनता, संयुक्त परिवार प्रणाली, बहुपत्नी प्रथा और दहेज जैसी कुप्रथाएं जिम्मेदार रहीं। ब्रिटिश शासन के दौर से महिलाओं की स्थिति में मामूली बदलाव शुरू होने लगा था। उन्नीसवीं सदी में राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऐनी बेसेंट और महात्मा गांधी जैसे समाज सुधारकों ने महिलाओं को समाज की मुख्यधारा में लाने की पहल की और उनके उत्थान के लिए तमाम काम किए।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में महिलाओं की स्थिति, विकास और उनके सशक्तिकरण का सवाल अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। आजादी के सात दशक बीत जाने के बाद जिस तरह हमारे देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, औद्योगीकरण, रोजगार, नगरीकरण के क्षेत्र में वृद्धि होने के साथ ही समाज में सामाजिक-राजनीतिक चेतना विकसित हो रही है, उसके सापेक्ष महिलाओं की स्थिति उतनी संतोषप्रद नहीं दिखाई देती। हालांकि कुछ दशकों से हमारे देश में महिलाओं की शैक्षिक स्थिति में सुधार आया है, लेकिन फिर भी साक्षरता का फीसद पुरुषों की तुलना में कम ही है। वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर देश की कुल साक्षरता दर 64.4 फीसद आंकी गई थी, इसमें पुरुषों की साक्षरता दर 75.85 फीसद और महिलाओं की साक्षरता दर 54.16 फीसद थी। इससे पूर्व 1991 में पुरुषों की साक्षरता 64.13 और महिलाओं की साक्षरता मात्र 39.29 फीसद ही थी। जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार कुल साक्षरता दर 74.0 फीसद है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर 82.1 फीसद और महिलाओं की साक्षरता दर बढ़ कर 65.5 फीसद हो गई है। इन आकड़ों से साफ पता चला है कि पिछले दो दशकों में महिलाओं की शिक्षा में संतोषजनक सुधार आया है। हमारे देश में महिलाओं की साक्षरता नगरीय क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत कम है। शिक्षित नहीं होने के कारण ही महिलाएं पुरुषों परआश्रित रहती हैं या अन्य निम्न स्तर और अथक परिश्रम वाले कामों को करने के लिए मजबूर होती हैं।

विशाल जनसंख्या के सापेक्ष हमारे भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति अच्छी नहीं है। ग्रामीण, दुर्गम और पर्वतीय इलाकों में प्रसव की समुचित स्वास्थ्य सुविधा न मिलने से कई प्रसूता महिलाओं की मौत तक हो जाती है। इसके अलावा असमान लिंग अनुपात, महिला मृत्यु दर ज्यादा होना, कुपोषण और महिलाओं में बीमारियों की अधिकता जैसे कई सवाल महिलाओं के जीवन को प्रभावित करते हैं। हमारे देश में खेती, उद्योग, खनन और अन्य से जुड़े कार्यों में महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा बेहद कम पारिश्रमिक मिलता है। बड़ी विडंबना है कि महिलाएं जो अपने घर-परिवार में खेती-बाड़ी, पशुपालन और अन्य घरेलू कामों में दिन-रात लगी रहती हैं, उनके इस परिश्रम की कोई भी कीमत नहीं आंकी जाती और न ही उन्हें इस काम का यथेष्ट श्रेय मिलता है।

महिला सशक्तिकरण में समाज की भूमिका बहुत महत्त्वपूर्ण है। देश की समग्र प्रगति तब तक नहीं हो सकती, जब तक उस देश की राजनीति से लेकर शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में वहां की महिलाएं सशक्त बन कर न उभरी हों। तमाम प्रभावी नीतियों और योजनाओं के बावजूद हकीकत यह है कि महिलाएं व्यावहारिकता में अब भी तरह-तरह की सामाजिक और आर्थिक समस्याओं से जूझ रही हैं। निश्चित तौर पर यह मानना होगा कि जब तक परिवार और समाज सकारात्मक सोच के साथ आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण की बातें करना महज एक कल्पना ही होगी।

समाज में प्रत्येक पुरुष और महिला को संविधान द्वारा समान तौर पर समस्त मूलभूत अधिकार दिए गए हैं, लेकिन फिर भी किसी न किसी रूप में सामाजिक रूढ़िवादी मान्यताओं और विषमताओं के कारण महिलाएं अपने अधिकारों से वंचित रह जाती हैं। अतः इस महत्त्वपूर्ण मुद्दे के समाधान की दिशा में हमारे देश में स्थित कई गैर सरकारी और स्वैच्छिक संस्थाएं, लिंग विभेद और महिलाओं से जुड़ी अन्य समस्याओं को दूर करने के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से सहयोग लेकर अपने स्तर पर प्रयास कर रही हैं।

मीडिया और संचार माध्यमों की भी महिला विकास में बड़ी भूमिका है जिसे महिला विकास और सशक्तिकरण के संदर्भ में भी उतना ही कारगर माना जा सकता है। यद्यपि भारत का महिला और बाल विकास विभाग महिलाओं के विकास के लिए सतत प्रयत्नशील रहा है और अन्य सरकारी व गैर सरकारी संस्थाएं भी अपने स्तर पर कार्य कर रही हैं, लेकिन इधर कुछ वर्षों में देखने में आया है कि मीडिया और संचार माध्यम इस दिशा में सक्रिय हुए हैं और उनका सकारात्मक परिणाम सामने आने लगा है। दिल्ली के निर्भया कांड के बाद उसे राष्ट्रीय फलक पर प्रमुख मुद्दा बनाने में जो सराहनीय भूमिका मीडिया और अन्य संचार साधनों ने निभाई, वह निश्चित ही प्रशंसनीय रही। समाचारपत्रों और टीवी के माध्यम से प्रसारित खबरों और योजनाओं की जानकारी अथवा विज्ञापनों का भी व्यापक प्रभाव महिला वर्ग पर पड़ा है। महिला सशक्तिकरण और विकास, बालिका शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा व महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं और उनसे जुड़ी समस्याओं पर दूरदर्शन, आकाशवाणी सहित तमाम अन्य चैनल कार्यक्रम प्रसारित कर इस संदर्भ में अच्छा प्रयास कर रहे हैं।

यहां पर यह बात भी ध्यान में रखनी होगी कि कुछ निजी चैनलों में प्रसारित होने वाले कतिपय धारावाहिक कार्यक्रमों में महिलाओं के चरित्र, व्यक्तित्व और पारिवारिक संबंधों को जिस काल्पनिक और विकृत रूपों में दिखाया जा रहा है, वह समाज को सकारात्मक सोच नहीं दे पा रहा है। यही बात विज्ञापनों के बारे में कही जा सकती है कि महिलाओं की सुंदरता और शरीर का उपयोग उपभोग की वस्तु के रूप में ही उपभोक्ताओं को आकर्षित करने में किया जाता है। विज्ञापन कंपनियों का उद्देश्य तो केवल वस्तुओं की बिक्री बढ़ाना होता है। इसलिए यहां सवाल यह उठता है कि क्या विज्ञापन कंपनियां अपनी तरफ से महिला सशक्तिकरण व विकास के लिए विज्ञापन नहीं बना सकतीं? सफल महिला उद्यमी के अनुभवों को साक्षात्कार, फीचर, आलेख व वृत्तचित्रों के जरिये समाज में जागृति लाने का महत्त्वपूर्ण कार्य किया जा सकता है। इनके अलावा सिनेमा, नाटक, कठपुतली और नुक्कड़ नाटक जैसे दूसरे जनसंचार माध्यमों को भी महिला सशक्तिकरण व विकास का प्रबल आधार बनाया जा सकता है।

आप किस फेर में हैं

राकेश सोहम्

दुनिया मेरे आगे

कुछ दिन पहले दिमाग में एक सवाल आया कि क्या मैं किसी फेर में हूं। काफी सोचने के बाद मुझे लगा कि मैं किसी फेर में नहीं हूं। मुझे यह अच्छा लगता है और खुद पर गर्व होता है। फिर सोचता हूं कि मैं किसी फेर में क्यों नहीं हूं। यह सोचते हुए बड़ी ऊहापोह में रहा! महाभारत में अर्जुन अपने ही रिश्तेदारों की सेना का संहार करने के लिए खड़े थे। बड़ी चिंता में थे कि अपनों का संहार कैसे कर सकते हैं! तब कृष्ण ने कहा कि 'ब्रह्म सत्यं जगत मिथ्या'। इसका अर्थ है कि यह दिखने वाला जगत सत्य नहीं है, केवल ब्रह्म ही सत्य है। इसलिए अर्जुन तुम इस जगत के फेर में मत पड़ो। यह सब छलावा है। लेकिन इस घोर कलयुग में प्राचीन परंपराएं और मान्यताएं लगातार टूट रही हैं। जन्म देने वाले माता-पिता को असहाय छोड़ कर मंदिरों में भजन-कीर्तन का शोर बढ़ता जा रहा है। लोग मानवता भूल कर पत्थरों को पूजने के फेर में पड़े हुए हैं!

ऐसा लगता है कि फेर में पड़ने की प्रथा अति प्राचीन है। दरअसल, फेर में पड़ने से बचना आसान नहीं है। सामने घटती घटनाओं और मौजूद वस्तुओं की लालसा ऐसी ही होती है। हालांकि फेर में पड़ने के तमाम खतरे भी हैं। परंपरा में मौजूद ग्रंथों और आख्यानों में तमाम उदाहरण मौजूद हैं कि कोई राजपाट के फेर में पड़ा तो कोई धन के तो कोई यौवन के। लेकिन इसके बदले उन्हें दुख मिले।

बहरहाल, अगर मैं ताल ठोंक कर कहूं कि मैं किसी फेर में नहीं हूं तो उन लोगों का क्या, जो फेर में पड़े हुए हैं और सुख भी उठा रहे हैं। आज बड़े से लेकर छुटभैया तक हर नेता कुर्सी के फेर में है। वे ऊपर से भले कहें कि हम जनता की सेवा करना चाहते हैं, हमें केवल गरीब जनता की चिंता है। लेकिन अंदर से बस मकसद एक है वोट, कुर्सी और उसके फायदे। वे बस इसी फेर में पड़े हुए हैं। मुझे याद आता है मेरा एक मित्र अच्छी नौकरी में आया था। अधिकारी के पद पर। लेकिन पद की कुर्सी के बजाय राजनीति की कुर्सी के फेर में पड़ गया। नौकरी छोड़ कर चुनावी मैदान में कूद गया, फिर चारों खाने चित। बाद में बहुत दिनों तक पार्टियों के पोस्टर बनाने और चिपकाने का काम करता रहा।

आज किसी न किसी फेर में पड़ना फैशन में है। बल्कि कुछ लोगों को पता भी नहीं चलता कि वे कब फेर में पड़ गए। फेर में पड़ने के बाद वे उसे सही ठहराने लगते हैं। लोग अपनी-अपनी हैसियत के अनुसार फेर में पड़े हुए हैं। छोटा व्यक्ति छोटे फेर में और बड़ा व्यक्ति बड़े के फेर में है। गांव के सीधे-सादे लोग भी अपनी ईमानदारी, सहजता और संवेदनशीलता को छोड़ कर नकारात्मक राजनीति के फेर में पड़ रहे हैं। अपने में सिमट रहे हैं। इधर डॉक्टर धन के फेर में शहरों में अटके हुए हैं, उधर गांव-कस्बों के लोग नीम हकीम के फेर में पड़े हुए हैं। जब गांव में मर्ज बिगड़ता है, तब वे जादू-टोने के फेर में पड़ जाते हैं और अंत में बचा-खुचा धन और जीवन लेकर शहर का रुख करते हैं। शहर के बड़े-बड़े अस्पतालों के फेर में उनकी जमीनें बिक जाती हैं। आजकल शहर में यह खबर आम हो गई लगती है। आए दिन ऐसी खबरें बदले नामों के साथ बार-बार पढ़ने में आती हैं, लेकिन जनता है कि चेतती नहीं है। सोने से लकदक महिलाएं सोने को दुगना करने के फेर में पड़ जाती हैं। कोई चालाक बाबा आता है और सोने को दुगना करने के लालच देकर सारा ठग कर ले जाता है।

कुल मिला कर फेर में पड़ने के जलवे ऐसे ही हैं। व्यवसायी पैसा बनाने, तथाकथित नेता और ठेकेदार विकास के बहाने जनता को लूट लेने के फेर में है। माना कि हजार खतरे हैं फेर में पड़ने के, लेकिन लोगों को पता है कि इसमें फायदे भी काफी हैं। अब यह अलग बात है कि कोई ईमानदारी का फायदा उठाना चाहता है या बेईमानी का। मकसद है प्रसिद्धि पाना, वह चाहे जैसे मिले। प्रसिद्धि है तो पैसा है। पैसा है तो सम्मान है और सम्मान में सब ढक जाता है। इन सबके बीच दिवाली का त्योहार भी गुजरा। बाजार लुभावने आकर्षणों से अट गए। ऐसे में उपभोक्ता उन आकर्षणों के फेर में पड़ने के लिए तैयार किए जाते रहे। लेकिन लोगों को यह समझने की जरूरत है कि हर व्यक्ति राजनीति की दुनिया का कलाकार नहीं हो सकता। अपनी हैसियत और बजट के अनुसार खरीदारी तर्कसंगत होगा। बेहतर हो कि किसी व्यक्ति या प्रस्ताव के फेर में पड़ने के बजाय अपना भरोसा अर्जित किया जाए और उसके फेर में पड़ा जाए। अपने भरोसे चार कदम चलना भी दूसरों के फेर में पड़ कर चालीस कदम चलने से ज्यादा अच्छा है।

कश्मीर पर राजनीति

विपक्ष, खास तौर पर कांग्रेस, इस बात पर बेहद गुस्से का इजहार कर रही है कि केंद्र सरकार ने यूरोपीय संघ के संसद सदस्यों को कश्मीर जाने देकर मुद्दे का अंतरराट्रीयकरण कर दिया है। वे लोग, जिनके परम-पूज्य नेता 1948 में कश्मीर को अंतरराष्ट्रीय बिरादरी के सम्मुख लेकर गए, और जिनके कारण संयुक्त राष्ट्र का पर्यवेक्षक तभी से श्रीनगर में डेरा जमाए बैठा है, इस प्रकार का आरोप लगाएं, शोभा नहीं देता। फिर, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र चार्टर की गलत धारा में शिकायत दर्ज कर भारत का पक्ष प्रारंभ से ही कमजोर कर दिया। उन्होंने अध्याय छह की धारा 35 का सहारा लिया, जिसमें पाकिस्तान को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, जबकि अध्याय सात के अंतर्गत शिकायत की जानी चाहिए थी। उन्होंने यह भी नहीं कहा कि बिना वर्दी वाली पाकिस्तानी फौज ने कबायली भेष में कश्मीर पर आक्रमण किया है। पाकिस्तान को उसके इरादों का पर्दाफाश कर घेरने की कोई मंशा जवाहरलाल नेहरू की नहीं थी। इसलिए संयुक्त राष्ट्र में हमारा पक्ष ढंग से समझा ही नहीं गया। वैश्विक बिरादरी में भारत का मजाक उड़वाने का काम ही नेहरूजी के कृत्यों से संपन्न हुआ।

इसके विपरीत अब तो यूरोप के सांसदों ने भारत के पक्ष को मजबूत कर हमारी कूटनीतिक विजय की घोषणा ही की है। कांग्रेसी सांसद जहां पाकिस्तानियों की जबान बोलते रहे हैं (इमरान खान ने कश्मीर पर कांग्रेस को ही उद्धृत किया), वहीं ये यूरोपीय सांसद हमारी जबान में हमारा पक्ष विश्व के सामने रख रहे हैं। तो इनके कश्मीर दौरे से हमारा लाभ हुआ कि नहीं? जितनी और जैसी बातें इन लोगों ने की हैं, उनके कारण हमारी वैश्विक कूटनीति दुनिया के मन में उतरेगी कि नहीं? पहली बार ये नेतागण विश्व को समझा रहे हैं कि पाकिस्तान आतंक द्वारा कश्मीर को भारत से तोड़ने की फिराक में है। पाकिस्तान की हरकतों को निर्ममता से उजागर कर इन्होंने एक तरह से हमारे प्रवक्ता होने का कार्य किया है। इसके बावजूद कांग्रेसी नेता अपनी जिद पर कायम हैं।

अब कश्मीर में पुराने 157 कानून समाप्त हो जाएंगे और सारे देश में लागू 106 कानून वहां स्वतः अस्तित्व में आएंगे, जिनमें भ्रष्टाचार विरोधी कानून भी शामिल है। अब कश्मीर के अलगाववादी नेता और पाकिस्तान से जिन्हें पैसा मिलता रहा है, वे सभी भ्रष्टाचार के मामलों में जवाबदेह होंगे। वहां सातवां वेतन आयोग लागू होगा, आर्थिक रूप से निर्धन सामान्य वर्ग को 10 फीसद आरक्षण मिलेगा। क्या यह सब कश्मीरियों के हित में नहीं है? विधानसभा सीटों की संख्या जम्मू-कश्मीर में 83 से बढ़ कर 107 हो जाएगी। इसमें गुलाम कश्मीर के 24 स्थान भी सम्मिलित हैं। इन बढ़ी हुई सीटों पर आरक्षण का लाभ देकर वहां के विस्थापितों को फायदा पहुंचाया जा सकता है। इतने सारे लाभों के बावजूद इस कदम का विरोध कहां की बुद्धिमानी है? क्यों पाकिस्तान को मजबूत बनाने का कार्य कांग्रेस कर रही है?

● *पूनम मित्तल, मोहनपुरी, मेरठ, उत्तर प्रदेश*

समझ से परे

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 2019 के लिए 7.3 फीसद से घटाकर 6.1 फीसद कर दिया है। जाहिर है कि आर्थिक मंदी की मार झेल रहे भारतीय बाजार में मांग में कमी बनी हुई है। ऐसे समय में जब निजी क्षेत्र नौकरियों को सृजित करने में विफल होता जा रहा है और कर्मचारियों की छंटनी का दौर चल रहा है, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जहां बेरोजगारी चरम पर है वहां सरकारी नौकरियों में लगातार कटौती करना समझ से परे है। भीषण बेरोजगारी को नजरअंदाज करना, बेरोजगारी की समस्या को टालते रहना कहीं न कहीं बाजारों की सुस्ती में इजाफा करने वाला है। इसलिए सरकार को धन खर्च के अन्य अनावश्यक मदों में कटौती करने की आवश्यकता है। सरकारी नौकरियों में निरंतर कटौती से बेरोजगारी में वृद्धि और बाजार की सुस्ती के लंबा खिंचने की आशंका है।

● *महेंद्रनाथ चौरसिया, शोहरतगढ़, सिद्धार्थनगर*

रियायत का बोझ

रियायत मिलना किसे अच्छा नहीं लगता! कई बार टमाटर के साथ मुफ्त मिली धनिया-मिर्ची भी खुशी देती है। देश के दस करोड़ से ज्यादा बुजुर्गों के लिए सरकारी रियायतों की भरमार है। मगर उम्मीदों का जिंदगी से गहरा ताल्लुक है जो थमने का नाम नहीं लेती। इन रियायतों पर बुजुर्गों का हक हो या न हो मगर एहसान का तमगा लगा देना उनकी खुद्दारी पर चोट जरूर करता है। देश में वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाला रियायती रेल टिकट याद कराते नहीं थकता कि इसके कुल किराए का तैंतालीस प्रतिशत बोझ आम आदमी वहन करता है।

निश्चित रूप से इस संदेश में सच्चाई है और सच यह भी है कि टैक्स देने वाले आम लोगों में बुजुर्ग भी शामिल हैं। सच बेहद कड़वा है मगर भेदभाव वाला सच सच्चाई की कड़वाहट बढ़ा देता है। गौरतलब है कि देश के सांसदों और विधायकों की तमाम अनुदानित सुविधाओं पर शर्तें लागू नहीं होती हैं। ऐसे में ये बुजुर्ग क्यों न पूछें कि उनकी रियायत आम लोगों पर बोझ क्यों है?

● *एमके मिश्रा, मां आनंदमयीनागर, रातू, रांची*

निराशा की परिणति

दुनिया को ये क्या होता जा रहा है! लोगों में रोष लगातार बढ़ रहा है। बगदाद से लेकर हांगकांग, सैंटियागो से लेकर बार्सिलोना तक, दुनिया भर में हाल के हफ्तों में बड़े विरोध प्रदर्शन हुए हैं। इराक में तो पिछले चार सप्ताह में दो सौ नागरिक पुलिस की गोलियों का शिकार हो गए। भाषा, रंग, धर्म और देश भले ही अलग हों पर दर्द सबका एक ही है। आय में असमानता और आर्थिक सुस्ती की वजह से जन समुदाय में घोर निराशा है।

यह निराशा दिन पर दिन और गहरी होती जा रही है। निकट भविष्य में इसमें कोई बदलाव आने की उम्मीद भी नहीं है क्योंकि आधुनिक जमाने के राजा, जिन्हें हम नेता या राजनीतिक कहते हैं, पूंजीपतियों के सामने बिक चुके हैं। इसलिए दुनिया भर में नीतियां वहीं बनेंगी जो पूंजीपति चाहेंगे। इसका अर्थ हुआ धरना प्रदर्शन और गृहयुद्धों से अशांति और फैलेगी।

● *जंग बहादुर सिंह, गोलपहाड़ी, जमशेदपुर*

चौपाल

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com